भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1545
दिनांक 10.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय मूल के व्यक्तियों को छात्रवृत्ति

1545. श्री एस. रामलिंगम

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या सरकार ने परोपकार, ज्ञान हस्तांतरण और विकास परियोजनाओं में निवेश के माध्यम से प्रवासी भारतीयों को भारत के विकास में योगदान देने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कोई नई पहलें की हैं अथवा नीतियां बनाई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान विदेश में रहने वाले लोगों द्वारा की गई शिकायतों पर सामयिक और त्वरित कार्रवाई हेतु मदद पोर्टल के अंतर्गत कितने लोग लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम (एसपीडीसी), जिसके अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) को प्रति वर्ष 100 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं, के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) से (ग) सरकार ने प्रवासी भारतीयों के साथ अपने संपर्क में एक परिवर्तनकारी बदलाव किया है । 32 मिलियन प्रवासी भारतीय राष्ट्र की वृद्धि और प्रगति में एक अमूल्य भागीदार हैं। भारत के साथ प्रवासियों के संपर्क और संबंध को सुविधाजनक बनाने और मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) के आयोजन, पीबीडी सम्मेलन, क्षेत्रीय पीबीडी, युवा पीबीडी, भारत को जानें कार्यक्रम, प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम, प्रवासी भारतीयों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, भारत को जानिए क्विज, मिशन के आउटरीच कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

सरकार की नीतियों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता के हस्तांतरण द्वारा प्रवासी भारतीयों की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करना है। मौजूदा आर्थिक सुधार और प्रमुख कार्यक्रम जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, हमारे प्रवासियों को भारत की वृद्धि और विकास में योगदान करने के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करते हैं। मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केंद्रों में मदद पोर्टल पर पंजीकृत 52,704 शिकायतों का निवारण किया गया है।

*****